(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 17/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि. (अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के खंड (i) द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 686 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,

(i) "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात "या संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) "पंचायत को" शब्दों के पश्चात "या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फाइल संख्या 354/13/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 686 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था ।